SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION

नीति संख्या 420

विषय: प्रीपेड मीटरिंग कार्यक्रम

I. उद्देश्य

A. यह नीति Sawnee Electric की सदस्यता ("सहकारी समिति की") के प्रीपेड मीटरिंग कार्यक्रम ("कार्यक्रम") से जुड़ी विभिन्न विशेषताओं के साथ-साथ सेवा संबंधी नियमों और विनियमों को परिभाषित करने के लिए मौजूद है।

B. इस नीति में कार्यक्रम की विशेषताओं और अपेक्षाओं के साथ-साथ कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किए जाने वाले प्रावधान परिभाषित हैं।

II. विषय-सामग्री

A. सामान्य

1. यह कार्यक्रम, जैसा कि इसमें परिभाषित है, स्वैच्छिक है तथा प्रतिभागिता करने वाले सदस्य ("प्रतिभागी") को अनुपूरक अनुबंध को निष्पादित करके कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने का अनुरोध करना होगा ("प्रीपेड मीटरिंग कार्यक्रम के नियम और शर्तें", इसके साथ संलग्न प्रदर्श 1)।

2. सहकारी समिति, अपने पूर्ण विवेक से किसी सदस्य को कार्यक्रम में स्वीकार न करने का चुनाव कर सकती है।

3. सहकारी समिति, अपने पूर्ण विवेक से, किसी प्रतिभागी को किसी भी कारण से कार्यक्रम से हटाने का चुनाव कर सकती है, जिसमें प्रतिभागी द्वारा इसमें वर्णित अपेक्षाओं, या संशोधित अपेक्षाओं का पालन न करना शामिल है परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

4. सहकारी समिति किसी प्रतिभागी को इसमें वर्णित अपेक्षाओं, या संशोधित अपेक्षाओं का पालन न करने के कारण कार्यक्रम से हटा सकती है।

5. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागी के खाते(खातों) पर लागू कुछ मासिक मूल्यों को "दैनिक मूल्यों" में परिवर्तित किया जा सकता है।

B. <u>अपेक्षाएं</u>

1. इस कार्यक्रम में प्रतिभागी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने खाते के प्रशासन के सभी पहलूओं के लिए जिम्मेदार हैं।

2. प्रतिभागियों को सहकारी समिति के ऑनलाइन बिल भुगतान पोर्टल को सब्सक्राइब करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

3. यह कार्यक्रम सहकारी समिति के एकल चरण और तीन चरण (200-एम्पियर सेवा के बराबर या उससे कम) के आवासीय प्रकार के खातों तक सीमित है, जो सहकारी समिति की खुदरा दर अनुसूची "H", आवासीय सेवा के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

4. कुछ सीमाएं और अपवाद लागू हैं, जिनमें नीचे उल्लिखित सीमाएं और अपवाद भी शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

C. <u>सीमाएं और अपवाद</u>

1. यह कार्यक्रम निम्नलिखित तक सीमित है:

   a. सहकारी समिति की खुदरा दर अनुसूची "H" के अंतर्गत लागू एकल चरण और तीन चरण (200-एम्पियर सेवा के बराबर या उससे कम) की आवासीय प्रकार की सेवाएं और/या वे स्थान जो इस दर अनुसूची के अंतर्गत योग्य हैं और सेवा प्राप्त करते हैं; तथा

   b. ऐसे पात्र सदस्य जो समय-समय पर मौजूद तथा इसमें संशोधित और परिभाषित कार्यक्रम के सेवा नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं।

2. सदस्य कार्यक्रम के लि तब पात्र <u>नहीं</u> हैं यदि:

   a. ऐसा सदस्य, या उसी परिसर में रहने वाला कोई ऐसा निवासी जो जीवन को खतरे में डालने वाली चिकित्सीय आपातस्थिति के घटित होने की रोकथाम करने के लिए विद्युत सेवा की अपेक्षा वाली किसी चिकित्सीय बीमारी से ग्रस्त हो।

   b. गैर-आवासीय सेवा (उदाहरण के लिए, या तो घर, अपार्टमेंट, कोंडो, टाउनहोम, ट्रेलर या ऐसा ही कुछ होना चाहिए)।

D. <u>सहकारी समिति के ऐसे कार्यक्रम जो प्रीपेड मीटरिंग कार्यक्रम पर लागू नहीं होते हैं</u>

1. सहकारी समिति का बजट बिलिंग कार्यक्रम, जैसा कि नीति 310, आवासीय बजट बिलिंग योजना में परिभाषित है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध <u>नहीं</u> है।

2. The Sawnee Foundation कार्यक्रम जो "Operation RoundUp" के रूप में जाना जाता है , इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध <u>नहीं</u> है।

3. इस कार्यक्रम में नामित ऐसे सदस्य जिनमें सहकारी समिति की नीति 403, भुगतान, गैर-अदायगी के लिए कनेक्शन काटना तथा व्यवस्थाएं के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार भुगतान की व्यवस्थाएं करने की योग्यता <u>नहीं</u> है।

4. सहकारी समिति का नेट एनर्जी मीटरिंग राइडर (NEM) इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग के लिए उपलब्ध <u>नहीं</u> है।

5. सहकारी समिति का बैंक ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड ड्राफ्ट कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध <u>नहीं</u> हैं।

6. नीति 302, सेवा शुल्क के अंतर्गत सूचीबद्ध निम्नलिखित शुल्क इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों पर लागू <u>नहीं</u> होंगे:

   a. विषय-सामग्री "II"में पाया गया देरी से भुगतान शुल्क, सेवा का प्रकार, "A", देरी से भुगतान, "5", आवासीय, "a"; और

   b. विषय-सामग्री "II"में पाया गया सेवा पुन: कनेक्शन शुल्क, सेवा का प्रकार, "A", सेवा का पुन:कनेक्शन, "3", पैराग्राफ "a".

E. <u>खुदरा दर अनुसूची</u>

1. कार्यक्रम के प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में होने के दौरान सभी लागतों और उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के लिए सहकारी समिति की खुदरा दर अनुसूची "H" (आवासीय सेवा) जैसी भी यह मौजूद हो या निदेशक मंडल द्वारा संशोधित की जाए, के अंतर्गत सहकारी समिति द्वारा बिल भेजा जाएगा।

2. इस दर की कुछ लागत(तें) "दैनिक मूल्य" में परिवर्तित की जा सकती है और इनका दैनिक आधार पर आकलन किया जा सकता है।

F. <u>दैनिक ऊर्जा रीडिंग</u>

1. कार्यक्रम में, जब भी संभव होगा, वास्तविक डेटा का, और कुछ मामलों में अनुमानित डेटा का उपयोग किया जाएगा, जो प्रतिभागी के सेवा स्थान पर स्थित प्रतिभागी के वॉट-घंटा मीटर में मौजूद या उससे प्राप्त डेटा या अनुमान के मामले में, सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए डेटा से प्राप्त ऊर्जा की दैनिक रीडिंग से संबंधित होगा।

2. यदि मीटर की वास्तविक रीडिंग समय पर प्राप्त न की जाए या अन्यथा अनुपलब्ध हो, तो ऊर्जा के दैनिक उपयोग की छूटी हुई या गुम रीडिंग का "अनुमान" लगाया जा सकता है।

3. यदि सहकारी समिति, किसी भी कारण से, लंबी समय-अवधि तक मीटर की वास्तविक दैनिक रीडिंग प्राप्त न कर पाए, तो वह मीटर की वास्तविक रीडिंग लेने का विकल्प चुन सकती है और रीडिंग लेने के बाद, कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की गई ऊर्जा की वास्तविक मात्रा को दर्शाने के लिए बिल में दर्ज की गई ऊर्जा और प्रतिभागी द्वारा देय राशि में आवश्यकता के अनुसार समायोजन (डेबिट या क्रेडिट) कर सकती है।

G. <u>बिलिंग</u>

1. कार्यक्रम के अंतर्गत कागजी बिल फॉर्म और/या कागजी बिलिंग विवरण अमेरिकी डाक या अन्य माध्यम से उपलब्ध <u>नहीं</u> कराए जाएंगे।

2. भुगतान, बिल की राशियों और/या खाते में शेष-राशियों के बारे में जानकारी सहकारी समिति के भुगतान पोर्टलों और/या रिमोट एक्सेस चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होगी।

H. <u>भुगतान</u>

1. सदस्यों को विद्युत सेवा के लिए न्यूनतम चालीस डॉलर ($40) का, साथ ही नीति 302, सेवा शुल्क में उल्लिखित लागू शुल्क के साथ-साथ किसी अन्य लागू शुल्क (जैसे, सदस्यता या अन्य) का प्रारंभिक पूर्व-भुगतान करना होगा।

2. प्रारंभिक पूर्व-भुगतान सदस्य द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा आरंभ करने पर प्रतिभागी के प्रीपेड खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

3. भुगतानों के प्राप्त होने के बाद इन्हें प्रतिभागी के खाते में पोस्ट कर दिया जाता है।

4. ऊर्जा सहायता प्रतिज्ञाओं और/या भुगतान सहायता सपोर्ट को प्रतिभागी के खाते में तब लागू कर दिया जाएगा जब सहकारी समिति द्वारा ऐसे भुगतान वास्तव में प्राप्त कर लिए जाते हैं।

I. <u>बकाया शेष राशि की देयता</u>

1. सहकारी समिति को देय अधिकतम $400 की प्रारंभिक राशि को प्रीपेड व्यवस्था पर रखे जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी प्रतिभागी की सहकारी समिति के प्रति इस राशि से अधिक राशि देय है, तो उसे कार्यक्रम में नामांकन से पहले सहकारी समिति को देय सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए <u>सहमति</u> देनी होगी।

2. इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने से पहले ऊर्जा के किसी भी बिल न भेजे गए प्रभार का भुगतान करना होगा।

3. कार्यक्रम की व्यवस्था या प्रावधान के अनुसार सहकारी समिति को देय किसी भी बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिभागी की विद्युत सेवा काट दी जाएगी।

J. <u>न्यूनतम शेष राशि संबंधी अपेक्षाएं</u>

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के प्रतिभागी से हर समय अपने खाते में क्रेडिट की शेष-राशि या शून्य ($0) के बराबर शेष-राशि बनाए रखना अपेक्षित होगा।

K. <u>काटने के नोटिस</u>

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी प्रतिभागी को अमेरिकी डाक के माध्यम से छपे हुए/कागजी बकाया नोटिस प्राप्त <u>नहीं</u> होंगे।

2. कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आधिकारिक संचार, जिनमें सेवा काटने का नोटिस और खाते में कम शेष-राशि के नोटिस शामिल है, सहकारी समिति के ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से दिए जाएंगे।

L. <u>सेवा प्रतिभूति जमा-राशि</u>

1. नीति 307, सेवा प्रतिभूति जमा-राशि-आवासीय के अंतर्गत परिभाषित सभी जमा राशियाँ, इस कार्यक्रम में नामांकित होने के दौरान प्रतिभागियों पर लागू <u>नहीं</u> होती हैं।

2. नीति 307, जैसी भी वर्तमान में मौजूद है या जैसा भी इसमें संशोधन किया जा सकता है, तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता न करने पर सहकारी समिति के साथ विद्युत सेवा को दोबारा स्थापित/स्थापित करने का अनुरोध करता है।

3. कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा प्राप्त करते समय सहकारी समिति के साथ स्थापित क्रेडिट के इतिहास पर नीति 307 के अंतर्गत परिभाषित मानदंडों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

4. सभी ऐसी मौजूदा जमा राशियाँ जो किसी प्रतिभागी द्वारा प्रभावित खाते पर अदा कर दी गई हैं, और सहकारी समिति द्वारा धारित की गई हैं, उन्हें कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के भाग के रूप में प्रतिभागी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

5. किसी भी अतिरिक्त जमा राशियों की वापसी पर सहकारी समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

M. सेवा का कनेक्शन काटना और सदस्यता की समाप्ति

1. कार्यक्रम के किसी प्रतिभागी के खाते में शून्य ($0) से अधिक शेष-राशि होने पर उसकी सेवा काट दी जाएगी।

2. कार्यक्रम में नामांकित सदस्य, जिनके कनेक्शन को सहकारी समिति के नियमों के अनुसार स्थगित किया जा सकता है, उन पर स्थगन की अवधि के दौरान प्रदान की गई सभी विद्युत सेवाओं के लिए ऋण का प्रभार लगता रहेगा और वे सेवा को बनाए रखने के लिए ऐसी सभी राशियों का भुगतान करने के जिम्मेदार होंगे।

3. कनेक्शन किसी भी समय काटा जा सकता है (7 दिन/प्रति सप्ताह, 24 घंटे/प्रतिदिन) जिसमें छुट्टियाँ और सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) भी शामिल हैं।

4. किसी प्रतिभागी का खाता जिसे सात (7) दिन या उससे अधिक अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया हो, निष्क्रिय माना जाएगा और उसे प्राप्त सेवाओं की सभी राशियों, भुगतानों की कटौती और वापसी योग्य शुल्क और प्रभारों की वापसी सहित "अंतिम बिल" प्राप्त होगा।

5. निष्क्रिय खातों के अंतिम बिल, सहकारी समिति के यहाँ विचाराधीन खाते के लिए फाइल पर मौजूद प्रतिभागी के अंतिम ज्ञात पते पर अमेरिकी डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे।

6. निष्क्रिय खातों के लिए, लागू अन्य शुल्कों और प्रभारों के साथ-साथ सभी देय राशियों का भुगतान सेवा बहाल किए जाने से पहले किया जाना होगा।

N. <u>खाता निष्क्रिय होने से पहले सेवा की बहाली</u>

प्रतिभागी के खाते को “निष्क्रिय” माने जाने से पहले किसी भी समय:

1. किसी प्रतिभागी की विद्युत सेवा में क्रेडिट शेष-राशि या खाते में शेष-राशि शून्य ($0) के बराबर होते ही, आमतौर पर सेवा जितनी जल्दी हो सके बहाल/दोबारा स्थापित कर दी जाएगी।

2. सेवा की बहाली प्रतिभागी के निवास-स्थान पर स्थित रिमोट उपकरण द्वारा की जाएगी, और इस प्रकार दूर से ही सेवा की बहाली हो जाएगी।

3. विद्युत सेवा बहाल किए जाने से <u>पहले</u> , विद्युत सेवा की सुरक्षित और उचित तरीके से बहाली की जानी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागी से अपेक्षा <u>की जा सकती</u> है कि वह सहकारी समिति के कर्मचारियों के निर्देश के अनुसार कुछ निश्चित कार्रवाइयाँ पूर्ण करे।

4. सेवा का कनेक्शन कट जाने और खाते में शेष-राशि शून्य ($0) से अधिक हो जाने पर, सहकारी समिति के कर्मचारी प्रतिभागियों को सेवा बहाल करने के लिए आवश्यक चरण(णों) के संबंध में विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं।

O. <u>कार्यक्रम के आरंभ में बकाया शेष-राशि</u>

1. कार्यक्रम के प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी समिति को देय $400 या उससे कम की किसी भी "बकाया" शेष-राशि के लिए केवल एक-बारगी भुगतान की व्यवस्था करने की अनुमति होगी।

2. इस कार्यक्रम में स्वीकृत किए जाने से पहले, सहकारी समिति को देय $400 से अधिक किसी भी बकाया राशि का पूर्ण भुगतान <u>किया जाना होगा</u>।

3. इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान, जिनके लिए कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले भुगतान का प्रबंध किया गया हो, जैसा कि यहाँ वर्णित है, नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार क्रेडिट किए जाएंगे:

   a. किसी भी भुगतान का 50% एक-बारगी भुगतान व्यवस्था के शेष पर लगाया जाएगा; और

b. भुगतान का 50% कार्यक्रम पर लगाया जाएगा।

4. भुगतान व्यवस्था पूरी कर लिए जाने के बाद, भविष्य के सभी भुगतानों की राशियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागी के खाते में क्रेडिट कर दी जाएंगी।

P. <u>क्षतिपूर्ति</u>

1. कार्यक्रम का प्रतिभागी सभी देनदारियों का भार स्वीकार करेगा तथा सहकारी समिति और उसके सदस्यों, न्यासियों, निदेशकों, अधिकारियों, प्रबंधकों, कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों, सहयोगियों, उत्तराधिकारियों और नियुक्त लोगों की क्षतिपूर्ति तथा उन्हें किसी भी प्रकार या प्रकृति के किसी और सभी दावों, हानियों, लागतों और व्ययों – से उस सीमा तक हानिरहित रखेगा – जहाँ तक वे खाते, कार्यक्रम में भागीदारी, प्रतिभागी की कार्यक्रम के प्रावधानों या उसमें निर्धारित दायित्वों का पालन करने में विफलता, खाते का कनेक्शन काटना, खाते की सेवा की बहाली और खाते की सेवा में रुकावट से संबंधित हो, जिसमें निम्नलिखित से होने वाले नुकसान या हानि शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

a. व्यक्तिगत चोट या मृत्यु;

b. संपत्ति का नुकसान;

c. कथित रूप से विद्‌युत सेवा का कनेक्शन काटने, विद्‌युत सेवा में रुकावट या पूर्व-भुगतान खाते की विद्‌युत सेवा की बहाली के कारण वित्तीय या आर्थिक हानियों के नुकसान की भरपाई;

d. विद्‌युत सेवा का कनेक्शन काटने, विद्‌युत सेवा में रुकावट या खाते की विद्‌युत सेवा की बहाली से उत्पन्न असुविधा या कष्ट;

e. विद्‌युत सेवा का कनेक्शन काटने, विद्‌युत सेवा में रुकावट या खाते की विद्‌युत सेवा की बहाली से कथित रूप से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं;

f. विद्‌युत सेवा का कनेक्शन काटने, विद्‌युत सेवा में रुकावट या खाते की विद्‌युत सेवा की बहाली से संबंधित किसी दावे या मुकदमे के लिए वहन किए गए खर्च, व्यय या वकील की फीस;

g. खाते से या इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करने में प्रतिभागी की विफलता से उत्पन्न होने वाले या उसके परिणामस्वरूप तीसरे पक्षों द्‌वारा या उनकी ओर से लगाए गए कोई और सभी दायित्व;

h. विद्युत सेवा का कनेक्शन काटने की अवधि के बाद खाते की विद्युत सेवा की बहाली से संबंधित संपत्ति का कोई या सभी नुकसान, व्यक्तिगत चोट या मृत्यु; और

i. खाते से संबंधित कोई भी परिणामी नुकसान।

2. कार्यक्रम के प्रतिभागी मीटर के प्रतिभागी के पक्ष पर लगे सभी विद्युत उपकरणों और प्रचालन प्रणालियों (जैसे: स्टोव, हीटर, ताप प्रणालियों, इस्त्री, हेयर ड्रायर, आदि) की जिम्मेदारी लेते हैं, जो कनेक्शन काटे जाने के समय चालू थे और जो कनेक्शन दोबारा लगाने के समय फिर से चालू हो सकते हों।

3. प्रतिभागी सहकारी समिति को खाते की विद्युत सेवा की बहाली से संबंधित किसी भी प्रकार के नुकसानों (व्यक्तिगत चोट, सम्पत्ति को नुकसान, व्यवसाय की हानि, परिणामी नुकसान, तृतीय पक्ष के नुकसान) की क्षतिपूर्ति करते हैं।

Q. <u>अन्य</u>

1. <u>गली-गलियारे की प्रकाश-व्यवस्था</u> – कार्यक्रम के प्रतिभागी के खाते से संबंधित बाहरी प्रकाश-व्यवस्था (“OL”) की दर अनुसूची के अंतर्गत सहकारी समिति द्वारा बिल में शामिल की गई सभी स्ट्रीट लाइटों को स्ट्रीट लाइट से संबद्ध मासिक प्रभार के आधार पर कार्यक्रम के अंतर्गत "दैनिक मूल्यों" में परिवर्तित किया जाएगा।

2. <u>मीटर से छेड़छाड़</u> – यदि सहकारी समिति की किसी भी संपत्ति या उपकरण के साथ छेड़छाड़ का पता चलता है, तो प्रतिभागी को कार्यक्रम से हटा दिया जाएगा और लागू नीति में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क और/या जमा-राशियाँ लागू होंगी।

3. <u>कार्यक्रम की समाप्ति और/या इसमें परिवर्तन</u> – सहकारी समिति के स्टाफ को किसी भी प्रतिभागी को किसी भी समय कार्यक्रम से हटाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, सहकारी समिति के निदेशक मंडल को अपने पूर्ण विवेक से इस नीति और कार्यक्रम में नोटिस दिए बिना किसी भी समय संशोधन करने और/या रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।

R. <u>स्वीकृति</u>

1. कार्यक्रम के प्रतिभागियों को कार्यक्रम की अपेक्षाओं की स्वीकृति पावती लिखित में देनी होगी, जैसा कि इस नीति से संलग्न किए गए और इसका भाग बनाए गए प्रदर्श 1 में वर्णित है।

III. <u>उत्तरदायित्व</u>

इस नीति का प्रशासन करने, इसके समग्र लागू करने के समुचित नियंत्रण विकसित करने तथा अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट निदेशक मंडल को देने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर होगा।

अपनाया गया:	18/09/14	लागू:	01/01/15
संशोधित:	20/11/14		01/01/15
	03/03/15		04/03/15
	17/09/15		18/09/15
	15/11/18		16/11/18
	18/03/21		19/03/21
	15/12/22		16/12/22
	21/11/24		22/11/24

अनुपूरक अनुबंध
प्रीपेड मीटरिंग कार्यक्रम के नियम और शर्तें
(प्रदर्श 1)

नीचे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति (इसके बाद इसे “सदस्य” कहा जाएगा) इसके द्वारा Sawnee Electric Membership Cooperative (इसके बाद इसे “Sawnee EMC” कहा जाएगा) के प्रीपेड मीटरिंग कार्यक्रम (“कार्यक्रम”) में प्रतिभागिता करने के लिए आवेदन करता है, और निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करने की सहमति देता है:

1. सदस्य स्वीकार करता है कि इस अनुपूरक अनुबंध के अतिरिक्त, निम्नलिखित दस्तावेज, जैसा कि वे समय-समय पर मौजूद हों, Sawnee EMC से सदस्य को उपलब्ध विद्युत सेवा की शर्तों पर भी लागू होंगे और उन्हें नियंत्रित करेंगे: (i) सदस्यता के लिए सदस्य का आवेदन, (ii) Sawnee EMC के उप नियम, (iii) Sawnee EMC के सेवा नियम और विनियम, (iv) Sawnee EMC की नीतियाँ (किसी सीमा के बिना इसके साथ संलग्न नीति 420 सहित); तथा (v) Sawnee EMC की लागू दर या दर(दरें)। यह अनुपूरक अनुबंध, और सभी ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़, जैसे भी वे समय-समय पर मौजूद हों, दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और इसमें उनका उल्लेख "शासी दस्तावेज़" के रूप में किया जाएगा। इस अनुपूरक अनुबंध या नीति 420 के किसी प्रावधान के किसी अन्य शासी दस्तावेज़ के किसी भी प्रावधान के साथ विरोधाभास की स्थिति में, इस अनुपूरक अनुबंध और नीति 420 के प्रावधान नियंत्रण करेंगे।
2. सदस्य शासी दस्तावेज़ों में उल्लिखित किसी भी सदस्यता, अंतरण, कनेक्ट करने और/या लागू शुल्कों का भुगतान करेगा।
3. सदस्य स्वीकार करता है कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों को विद्युत की खपत या अन्य लागू शुल्कों या प्रभारों का मासिक विवरणी प्राप्त नहीं होगा।
4. सदस्य, कार्यक्रम के खाते में शेष-राशि की नियमित निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा और वह यह समझता है कि खाते में शेष-राशि शून्य ($0.00) से अधिक होते ही विद्युत सेवा लिखित सूचना दिए बिना तुरंत (सप्ताहांत और छुट्टियों सहित) बंद की जा सकती है।
5. सदस्य स्वीकार करता है कि भुगतान किए जाने पर विद्युत सेवा स्वचालित रूप से और तुरंत बहाल की जा सकती है। **सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा का कनेक्शन कट जाने के दौरान सदस्य द्वारा भुगतान किए जाने से पहले बिजली के सभी उपकरण बंद हों, तथा विद्युत प्रणाली को दोबारा चालू करना सुरक्षित हो। नीचे हस्ताक्षर करके, सदस्य भुगतान जमा करने पर सदस्य की विद्युत सेवा को दोबारा चालू करने से उत्पन्न किसी और सभी नुकसानों की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तथा Sawnee EMC को इनसे हानिरहित रखने की सहमति देता है।**
6. किसी प्रतिभागी का खाता जिसे सात (7) दिन या उससे अधिक अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया हो, निष्क्रिय माना जाएगा और उसे प्राप्त सेवाओं की सभी राशियों, भुगतानों की कटौती और वापसी योग्य शुल्क और प्रभारों की वापसी सहित "अंतिम बिल" प्राप्त होगा।

कृपया निम्नलिखित भाग को भरें और Sawnee EMC को 543 Atlanta Highway, Cumming, GA 30040 पर या customerservice@sawnee.coop पर ईमेल के माध्यम से वापस भेजें।

खाता संख्या: ____

सेवा का पता/स्थान: ____

तारीख: ____/____/______ मोबाइल फोन नंबर: (   ) _______-___________

ईमेल पता: ____

______________________________	______________________________
सदस्य का नाम	संयुक्त सदस्य का नाम (साफ लिखें)
______________________________	______________________________
सदस्य के हस्ताक्षर	संयुक्त सदस्य के हस्ताक्षर